

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I
PART I—Section I
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 215] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 15, 1973/भाद्र 24, 1895
No. 215] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 15, 1973/BHADRA 24, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 15th September 1973

RESOLUTION

CEMENT PRICES

No. 1-23/73-Cem.—The last enquiry by the Tariff Commission into the price structure of the cement industry was in 1961. The Commission's recommendations made in its report (1961) were accepted by Government with certain modifications by their Resolution dated the 31st October, 1961.

2. Since the above enquiry, there have been significant changes in the circumstances of the Industry. In April, 1972, Government of India accordingly requested the Tariff Commission under Section 12(d) of the Tariff Commission Act, 1951 to undertake urgently a comprehensive review of the cement industry and to recommend fair ex-works prices payable to the producers. The basic objective of the review was to ensure the development of the cement industry in a measure and in a manner that would enable the requirements (including exports) to be met adequately at a minimum cost to the economy. The Government of India had also suggested that the Commission might make recommendations of an interim nature pending submission of its final report.

3. Based on the costing of certain selected units and pending the final recommendations, the Tariff Commission has come to the conclusion that some interim relief should be provided immediately and has accordingly recommended a price increase of Rs. 10 per tonne in the case of all the producers over the present price applicable to them.

4. Government of India have examined the recommendations of the Tariff Commission for an interim increase in price of cement by Rs. 10 per tonne and are pleased to accept the same with immediate effect.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it may be published in the Gazette of India.

A. N. BANERJEE, Spl. Secy.

औद्योगिक विकास नशालय

नई दिल्ली, 15 मिनम्बर, 1973

सकल्प

सीमेन्ट के मूल्य

सं० 1-23/73—सीमेन्ट:—प्रशुल्क आयोग ने सीमेन्ट उद्योग के मूल्य ढांचे के सम्बन्ध में पिछली बार 1961 में जांच की थी। आयोग द्वारा रिपोर्ट (1961) में की गई सिफारिशें सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ दिनांक 31 अक्टूबर, 1961 के संकल्प द्वारा स्वीकार कर ली थी।

2. इस जांच के उपरान्त सीमेन्ट उद्योग की परिस्थितियों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। तदनुसार अप्रैल, 1972 में भारत सरकार ने प्रशुल्क आयोग अधिनियम की धारा 12 (घ) के अधीन प्रशुल्क आयोग से सीमेन्ट उद्योग की अविलम्ब व्यापक संवीक्षा करने तथा उत्पादकों को देय कारखाने से निकलने समय के उचित मूल्य की सिफारिश करने को कहा था। इस संवीक्षा का मुख्य उद्देश्य सीमेन्ट उद्योग का एक ऐसे अभ्युपाय के रूप में तथा ऐसे ढंग से विकास सुनिश्चित करना था जिसमें न्यूनतम आर्थिक व्यय से सीमेन्ट की आवश्यकता (निर्यात सहित) की पर्याप्त रूप में पूर्ति की जा सके। भारत सरकार ने आयोग की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने की अवधि तक के लिए अन्तरिम तौर पर सिफारिश करने का भी सुझाव आयोग को दिया था।

3. कुछ चुने हुए एककों के मूल्य-निर्धारण के आधार पर प्रशुल्क आयोग इस निर्णय पर पहुंचा है कि अन्तिम सिफारिशें प्राप्त होने तक कुछ अन्तरिम राहत तुरन्त प्रदान की जानी चाहिए तथा इसके अनुसरण में आयोग ने सभी उत्पादकों के लिए उनके विद्यमान मूल्य में प्रति मी० टन पर 10 रुपये मूल्य वृद्धि की सिफारिश की है।

4. भारत सरकार ने प्रशुल्क आयोग की सीमेन्ट के मूल्य में 10 रुपये प्रति मी० टन की वृद्धि करने सम्बन्धी सिफारिशों की जांच कर ली है तथा उसे तत्काल स्वीकार करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धित लोगों को भेजी जाये तथा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

ए० एन० बनर्जी, विशेष सचिव।